A 1.6

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--26 **Dated-----10-02-2015**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.100 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of mamni-Uroli Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Uroli, Ijra** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav

(Dr. Raghav Langer) **Signature**

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** deputy commissioner **Rudraprayag** on date 06-02-2015 at time ....at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **2.1000 hect** for the Construction of **Mamni-Uroli Motor Road (5.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..............

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– जखोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** (0.7000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.4000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 2.100 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील जखोली)** की दिनांक 07/01/15–– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ––––––––––, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री लक्ष्मी राजचौहान उपजिलाधिकारी ––[signature]–––––––––––अध्यक्ष
2– श्री [handwritten]––उप प्रभागीय वनाधिकारी–[signature]––––––––––सदस्य
3– श्री दुर्गवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी––[signature]––सदस्य / सचिव
4– श्री देवचन्द––––बी0डी0सी0 क्षेत्र ––––––––––––––––––––सदस्य [signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग लम्बाई** 5.00 **किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना हेतु **2.1000 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत ममणी–उरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना के निर्माण हेतु **2.1000 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature]

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग

6 C

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री सोहन लाल ---- द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रप्रयाग – परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मयाली-उरोली मोटरमार्ग का निर्माण -- परियोजना के निर्माण हेतु 2.100 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

6 (D)

प्रपत्र--23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उरोली

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड में विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०मं० घो० के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु (0.7000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.400 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 हे0, वन पंचायत भूमि ———— हे0) अर्थात कुल 2.1000 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उरोली द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उरोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
ग्रा०वि० अधिकारी
क्षेत्र–जखोली
वि०ख० जखोली (रुद्रप्रयाग)

ह0 / –
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत उरोली
बिमलदेवी
6/11/15

नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
उरोली (लस्या)
विकास खण्ड जखोली
जनपद-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

6E

प्रपत्र—23.1

दिनांक 6-01-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत उरोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दलमान सिंह राणा	[signature]
01	ओंकार सिंह राणा उरोली	[signature]
02	किशन सिंह राणा उरोली	[signature]
03	उत्तम सिंह राणा — " —	[signature]
04	उदय सिंह राणा — " —	[signature]
05	मुकेश सिंह रावत	[signature]
06	प्रवीन	[signature]
07	वीरसिंह	[signature]
08	प्रेम देव	[signature]
09	दौलत सिंह	[signature]
10	दिग्पाल सिंह	[signature]
11	कुलदीप सिंह राणा ग्राम उरोली	[signature]
12	सुखदेव सिंह राणा	[signature]
13	अब्बल सिंह राणा	[signature]
14	विकास सिंह	दिलवर सिंह [signature]
15	[illegible]	रमेश राणा [signature]
16	दिनेश [illegible]	[signature]

रामप्रसाद, सन्त सिंह, [signature]
शिवलाल, शिवचरण सिंह, दिलवर सिंह
सत्ये सिंह, मधवीर सिंह राणा, [signature], संत सिंह
रामप्रसाद, भगवान सिंह, [signature], [signature]
कल्याण सिंह, भरत सिंह, [signature], [signature]
[signature], पुष्कर सिंह [signature], सरदार सिंह
राहुल राणा, हुकम सिंह [signature]
नरपत, उमेर सिंह, [signature]
दिग्पाल सिंह
हरपाल सिंह

क्षेत्र पंचायत सदस्य
कफोरा (लस्वा)
विकास खण्ड जखोली
[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
[signature]
वि.ख. जखोली